छह जिलों के 27826 वर्ग किमी में बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र

बदलता लखनऊ

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) बनाने की कवायद तेज हो गई है। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने इसके लिए तीन दिन पहले शासन को रिपोर्ट भेज दी है। कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण को जल्द राज्य राजधानी परिक्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। स्टेट कैपिटल रीजन में कुल छह जिले शामिल हैं। इनका 27826 वर्ग किमी क्षेत्र एससीआर दायरे में रहेगा। इसमें पहले प्रस्तावित कानपुर, कानपुर देहात नई सूची से बाहर हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश में यूपीएससीआर बनेगा। इसमें पहले आठ जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब छह जिले ही रहेंगे। कानपुर और कानपुर देहात बाहर कर दिए गए हैं। 7 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी दे दी। अब इसके गठन का रास्ता साफ हो गया है। मगर आवास विभाग से गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने इन छह जिलों का सर्वे कराया है। उनकी आबादी, क्षेत्रफल आदि आंकड़े अब आ चुके हैं। प्रयास था कि आचार संहिता लागू होने से पहले एससीआर गठन की अधिसूचना जारी हो जाए। मगर संभव नहीं हो पाया। आचार संहिता के बाद अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

07 मार्च 2024 को अध्यादेश को मिली थी मंजूरी

ऐसा होगा राज्य राजधानी क्षेत्र

- एससीआर से कानपुर नगर-देहात बाहर हुए
- लखनऊ कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट

दायरा बहुत बड़ा होने के चलते हटाए गए दो जिले

पहले कानपुर,कानपुर देहात भी एससीआर में जोड़ने का प्रस्ताव था। इन दोनों को मिलाने से एससीआर क्षेत्र काफी बड़ा हो रहा था। शासन स्तर पर हुई बैठक में दोनों जिले अलग करने का फैसला हुआ। अब एलडीए ने छह जिलों को शामिल कर अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली शामिल हैं।

अब ये जिले होंगे शामिल

जिले	जनसंख्या	क्षेत्रफल
लखनऊ	4589838	2528
हरदोई	4092845	5986
सीतापुर	4483992	5743
उन्नाव	3108367	4558
रायबरेली	3405569	4609
बाराबंकी	3260699	4402

04 जून को चुनाव परिणाम और नई सरकार बनने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

एक साथ विकास का बनेगा प्रस्ताव

अधिसूचना के बाद इनके विकास का प्रस्ताव बनेगा। एससीआर के विकास, नक्शा मंजूरी, अन्य विकास परियोजनाओं के नियम-मानक एलडीए बनाएगा।